# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

**आदेश पत्रक**

भू–हदबन्दी अपील वाद संख्या – 14 / 2016

अनन्त साव वगै0 बनाम् श्रीमति रंजू देवी एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|

**05-09-2018**

–: **आदेश** :–

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का वहस सुना, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत् भूमि के सह हिस्सेदार एवं Adjacent रैयत हैं। विपक्षी क्रमांक 02 एवं 03 के द्वारा विपक्षी क्रमांक 01 के पक्ष में निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत् भूमि मौजा– माण्डू, खाता न0–48, प्लॉट नं0–206, कुल रकबा–3.00 एकड़ मध्ये रकबा– 0.70 एकड़ भूमि बिक्री की गई है, जो सह हिस्सेदार एवं Adjacent रैयत नहीं है, हस्तानांतरण विधि विरूद्ध हैं। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा–16(3)(Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) के तहत् कृषि योग्य भूमि का विखण्ड रोकने के लिए उक्त सुसंगत धारा अन्तर्गत कार्रवाई का प्रावधान है, जबकि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में टाँड़ दर्ज है एवं आवासीय मकान बना हुआ हैं। विपक्षी क्रमांक 02 एवं 03 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि नियमानुसार विपक्षी क्रमांक 01 के पक्ष में निबंधित केवाला के माध्यम हस्तानांतरण किया है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् बहाल रखते हुए, अपील आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के बाबत निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत् होनें का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

05/9/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

05/9/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

Scanned by CamScanner